न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/42/2023 वाद | दायर दिनांक 23.06.2023

उनवान

1. मांगी बाई पत्नि किशन लाल जाति जाट आयु वयस्क निवारी बाबरियाखेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. सोहनी बाई पत्नि देवी लाल जाति जाट आयु वयस्क निवारी बाबरियाखेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1. प्यारी पत्नि डालु जाति जाट आयु वयस्क निवारी बाबरियाखेड़ा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
2. बद्री पुत्र डालु जाति जाट आयु वयस्क निवारी बाबरियाखेड़ा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
3. भगवानी पुत्री डालु जाति जाट आयु वयस्क निवारी बाबरियाखेड़ा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
4. शान्ता पुत्री डालू जाति जाट आयु वयस्क निवारी बाबरियाखेड़ा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
5. तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट –वादी
अधिवक्ता श्री रोशनलाल जाट –प्रतिवादी सं0 1 से 4

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53, 88–89, 188 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः **18.11.2025**

–ःनिर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा बाबरियाखेड़ा पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 223, 228 कुल किता 02 कुल रकबा 1.06 हैक्टेयर स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 4 तक के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अतः वादीगण की प्रार्थना है कि बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बंटवाड़ा की डिकी इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वादपत्र की कॉलम संख्या एक में वर्णित आराजियात का वादी संख्या एक 1/4 हिस्सा एवं वादी संख्या दो 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्सा एवं बंटवाड़ा में आई आराजियात को प्रतिवादीगण से अलग खाते दर्ज कराये जाने की डिक्री बक्षाई जावें तथा मौके पर प्रत्येक वादी आपसी मौखिक बंटवाड़े से जहां काबिज है उसी अनुसार कब्जे में रखाते हुए अलग खाते दर्ज कराये जाने की डिकी फरमाई जावें तथा लगान भी अलग दर्ज कराये जाने की डिकी बक्षाई जावें। तथा प्रतिवादीगण के भी हिस्से अनुसार अलग खाते दर्ज कराई जाने की डिकी जारी फरमाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशन लाल जाट का अधिकार पत्र प्रस्तुत।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 07.01.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 07.10.2025

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला चित्तौडगढ

से प्रस्तुत की गई। जो शा0फा0 की गयी। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 18.11.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा बाबरियाखेड़ा पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 223, 228 कुल किता 02 कुल रकबा 1.06 हैक्टेयर स्थित है में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 07.10.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. मांगीबाई पत्नी किशनलाल हिस्सा 1/2 जाति जाट, सोहनीबाई पत्नी देवीलाल हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	223/1	0.27	बारानी 3
2	228/1	0.26	बारानी 3
योग	कुल किता–02	0.53	

2. प्यारी पत्नी डालु हिस्सा 1/4, बद्री पुत्र डालु हिस्सा 1/4, भगवानी पुत्री डालु हिस्सा 1/4, शान्ता पुत्री डालु हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	223/2	0.26	बारानी 3
2	228/2	0.27	बारानी 3
योग	कुल किता–02	0.53	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन